

तारीख हुकम	<p>उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> <p>हुकम वा कार्यवाही मय लघुहरतावर जाज</p>
13.01.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौर/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>23.12.24</u> को पेश हो।</p>
23.12.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहु पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी पत्रावली दिनांक 10.01.2025 को पेश हो।</p> <p>( अनिल कुमार ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>
10.01.2025	<p>पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी पत्रावली दिनांक 17.01.2025 को पेश हो।</p> <p>( अनिल कुमार ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>
17.01.2025	<p>पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी में अंकित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए अवगत कराया कि उनवानी दावा न्यायालय में विचाराधीन होकर आगामी पेशी 8.2.2023 नियत थी। उक्त तारीख को वादी का अधिवक्ता अन्य मुकदमे की पैरवी हेतु अन्य न्यायालय में व्यस्त होने तथा वादी अपने अधिवक्ता के भरोसे होने से दावा दिनांक 8.2.2023 को अदम</p>

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज  
पुनः नम्बर 31/2023

पुनः नम्बर 31/2023 में अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। जिससे वादी को सब्त हक तलाफी है। वादी मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग की अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित होकर मंदिर मूर्ति श्री राधाकिशनजी शाश्वत नाबालिग का है। वादी पुजारी को अपने अधिवक्ता से आकर सम्पर्क करने एवं न्यायालय में आगामी तारीख पेशी की जानकारी करने पर दिनांक 13.07.2023 को ही मालूम चलने पर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश करने पर प्रतिलिपि दिनांक 14.7.2023 को प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त मामला वादी मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग की अचल सम्पत्ति बाबत होने से दावा हाजा को पुनः नम्बर पर लिया जाकर विधिवत सुनवाई फरमाई जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय व डिक्री फरमाये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि उक्त वादपत्र रामस्वरूप पुत्र घीसाराम जाति ब्राह्मण निवासी लिसाडिया की ओर से वादी मंदिर के पुजारी की हैसियत से पेश किया है। उक्त वादी मंदिर की ओर से वाद पत्र पेश करने वाले पुजारी रामस्वरूप की ओर से सम्पूर्ण वादपत्र की कार्यवाही की गई है। जिनकी ओर से दिनांक 8.2.2023 को कोई उपस्थित नहीं होने से उक्त दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमाया गया है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र वाजदायरी तथाकथित पुजारी महेश कुमार की ओर से पेश किया गया है जिसको किसी किस्म की कानूनी कार्यवाही करने या वाजदायरी पेश करके पुनः नम्बर पर लाने हेतु सुनवाई करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त पुजारी महेश कुमार उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं है एवं ना ही पत्रावली पर वह रिकार्ड पर ही है। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आवेदक को वाजदायरी पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र वाजदायरी को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र

34

लागतार

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मग लघु हरतावार जज

मन्दिर मूर्ति मन्दिरी

10/10/23

अस्थाई निषेधाज्ञा के दिनांक 08.02.2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में स्वारिज होने पर न्यायालय में वैशेषा दिनांक 14.07.2023 को प्रार्थना पत्र वाजदायरी का पेश किया गया है। जिसमें विगत अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र जिले कन्वोन किये जाने बाबत पेश किया जाना प्रकट होता है। वाजदायरी से सम्बन्धित मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में मन्दिर मूर्ति श्री राधाकिशनजी महाराज वाके विराजमान ग्राम लिसाडिया की ओर से वादी व प्रार्थी की ओर से जरिये सरक्षक पुजारी रामस्वरूप पुत्र घीसालाल जाति ब्राह्मण निवासी लिसाडिया की ओर पेश किया गया था तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी का वादी/प्रार्थी रामस्वरूप का देहान्त होने पर उनके विधिक वारिसान् पुत्र महेश कुमार की ओर से पेश किया जाना प्रकट होता है। रामस्वरूप पुत्र घीसालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रकरण मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग की अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित होकर मन्दिर मूर्ति श्री राधाकिशनजी महाराज वाके विराजमान ग्राम लिसाडिया शाश्वत नाबालिग का प्रकरण है। जिसके अधिकारों की सुरक्षा करना कानून की जिम्मेदारी है। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र के शीर्षक में स्पष्ट रूप से मन्दिर मूर्ति श्री राधाकिशनजी महाराज वाके विराजमान ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर नाबालिग जरिये सरक्षक पुजारी महेश कुमार पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप पुत्र घीसालाल जाति ब्राह्मण निवासी लिसाडिया का अंकन किया है जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि पूर्व वादपत्र व प्रार्थना पत्र टी.आई. में वादी/प्रार्थी जरिये सरक्षक पुजारी रामस्वरूप पुत्र घीसालाल ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके विधिक वारिसान् में पुत्र महेश कुमार की ओर से यह प्रार्थना पत्र वाजदायरी का प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र अचल सम्पत्ति का होकर अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। जिसको सिद्ध करने का समस्त दायित्व प्रार्थीगण वादीगण का ही होता है। मूल वादपत्र के मन्दिर मूर्ति श्री राधाकिशनजी महाराज से सम्बन्धित होकर अचल सम्पत्ति का होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण के प्रति उदार रवैया अपनाते हुए प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किया जाता है तथा मूल दावा व मूल प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी

3

लगातार

मन्दिर श्री राधाकृष्णप्रियान्तरी बनाम शिवपाल


हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

शिवपाल वाजदायरी

शुमार 81/2023

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

उनवानी प्रकरण मन्दिर श्री राधाकृष्णप्रियान्तरी बनाम शिवपाल वगै० को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है। उक्त मूल वादपत्र व प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावे। उभय पक्षकारान् मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी में नियमित सुनवाई हेतु न्यायालय में दिनांक 17.02.2025 को पेश हो। प्रार्थना पत्र वाजदायरी फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)